



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 भाद्र 1947 (श10)

(सं0 पटना 1524) पटना, बुधवार, 17 सितम्बर 2025

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना  
17 सितम्बर 2025

एस० ओ० 159, दिनांक 17 सितम्बर 2025—बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2025 (बिहार अधिनियम 07, 2025) की धारा 1 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, एतद्वारा 1 अक्टूबर, 2025 को ऐसी तिथि के रूप में जिसको उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (ii) और (iii), धारा 3 से धारा 5 और धारा 7 से धारा 15 के उपबंध प्रवृत्त होंगे, नियत करते हैं।

[(सं0सं0 बिक्री-कर/जीएसटी/विविध 21/2017-(खंड-19) 3802)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार सिंह,

राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

17 सितम्बर 2025

एस० ओ० 159, दिनांक 17 सितम्बर, 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं0सं0 बिक्री-कर/जीएसटी/विविध 21/2017-(खंड-19) 3802)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार सिंह,

राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

***The 17<sup>th</sup> September 2025***

S.O. 159, Dated The 17<sup>th</sup> September 2025-- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 1 of the Bihar Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2025 (Bihar Act 07, 2025), the Governor of Bihar, hereby appoints the 1<sup>st</sup> day of October, 2025, as the date on which the provisions of clauses (ii) and (iii) of section 2, sections 3 to 5 and sections 7 to 15 of the said Act, shall come into force.

**[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-19) 3802)]**

**By the order of Governor of Bihar,  
Sanjay Kumar Singh,  
Commissioner State Tax-cum-Secretary.**

---

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।  
बिहार गजट (असाधारण) 1524-571+10-डी0टी0पी0 ।  
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>**